# न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

निगरानी संख्या–80/2013–14 अन्तर्गत धारा–219 भू–राजस्व अधिनियम

श्री घनश्याम सिंह

–बनाम–

श्री राम सिंह आदि

उपस्थितिः श्री पी0एस0 जंगपांगी, आई0ए0एस0 सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री पी0के0 गर्ग।
अधिवक्ता उत्तरदाता : श्री टी0के0 सिंह।

बावत
मौजा पित्थूवाला, परगना पछवादून
जनपद देहरादून।

## निर्णय

यह निगरानी विद्वान कलेक्टर, देहरादून द्वारा अपील संख्या–05 वर्ष 2009–10 अन्तर्गत धारा–210 भू–राजस्व अधिनियम किशनलाल बनाम राम सिंह आदि में पारित निर्णयादेश दिनांक 25–09–2013 के विरूद्व योजित की गई है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि के बावत श्री किशनलाल ने तहसीलदार, देहरादून के समक्ष नामान्तरण का प्रार्थना पत्र दिनांक 20–09–2006 इस आशय से प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के पिता बचई पुत्र स्व0 तुलसी ग्राम पित्थूवाला तथा ग्राम सेंवला कलां की भूमि खाता संख्या–93 पुराना खाता संख्या–43 के संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर मालिक थे। प्रार्थी के पिता का देहान्त दिनांक 15–07–85 को हो गया है और उन्होंने अपने जीवनकाल में ही स्वस्थ मन–बुद्वि से बिना किसी दबाव के अपनी सम्पूर्ण भूमि की व्यवस्था अपने जीवनकाल में ही कर दी थी। प्रार्थी के पिता ने सभी आठों पुत्रों व अपनी पत्नी को दिया गया भाग समझाकर काबिज करा दिया था। ग्राम पित्थूवाला की भूमि वसीयत द्वारा अपनी पत्नी को दी थी तथा इस भूमि में एक मकान भी निर्मित है। मकान अपनी पत्नी श्रीमती किशन देई को रहने के लिये दिया था। इस मकान के पूरब में 0.05 एकड़ भूमि किशनलाल को दी थी तथा यह भी स्पष्ट किया गया था कि ग्राम पित्थूवाला की उपरोक्त भूमि श्रीमती किशन देई के देहान्त के बाद 6.25 बीघा भूमि जो ग्राम पित्थूवाला में है, जो बजरिये वसीयत दिनांक 02–01–1984 किशनलाल को दी जाय। यह भी स्पष्ट किया गया था कि बाकी अन्य सातों पुत्र उक्त भूमि में कोई अधिकारी नहीं होगा। ग्राम सेंवला कलां की भूमि के बारे में उपरोक्त वसीयत द्वारा स्पष्ट किया कि ग्राम सेंवला कलां की भूमि में आठों पुत्र बराबर के हिस्सेदार होंगे। इस प्रकार प्रार्थी के पिता ने अपने जीवनकाल में दिनांक 02–01–1984 को गवाहों के सम्मुख वसीयत कर समस्त भूमि की व्यवस्था कर मौके

पर कब्जा भी सौंप दिया था,। यह भी कहा गया था कि वसीयत का ज्ञान सभी भाईयों एवं माता तथा अन्य लोगों को है। प्रार्थी अनपढ़ व्यक्ति है प्रार्थी के पिता के देहान्त के पश्चात खतौनी की कभी आवश्यकता नहीं हुई जब प्रार्थी को खतौनी की आवश्यकता हुई तो ज्ञात हुआ कि खाता संख्या–93 मौजा पित्थूवाला में उसके पिता द्वारा की गई वसीयत के विपरीत सभी भाइयों का नाम अभिलेखों में अंकित चला आ रहा है अतः विरासत के आदेश के स्थान पर वसीयत के आधार पर प्रार्थी का नाम अभिलेखों में अंकित किया जाय। तहसीलदार, देहरादून द्वारा नामान्तरण वाद में इश्तहार जारी होने एवं कोई आपत्ति प्रस्तुत न होने पर निर्णयादेश दिनांक 13–06–2007 से वादग्रस्त भूमि पर वसीयत के आधार पर किशनलाल का नाम अभिलेखों में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये। इस आदेश के विरूद्व रामसिंह आदि ने दिनांक 18–02–2009 को पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसपर आदेश दिनांक 05–03–2009 पारित करते हुए तहसीलदार ने वादग्रस्त भूमि पर खातेदार किशनलाल को वाद के निस्तारण तक क्रय–विक्रय करने से निषिद्व किया गया एवं वाद में अग्रित तिथि नियत की गई। इस आदेश के विरूद्व किशनलाल ने विद्वान कलेक्टर, देहरादून के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। विद्वान कलेक्टर, देहरादून ने अपने निर्णयादेश दिनांक 25–09–2013 से तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–06–2007 एवं पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश दिनांक 05–03–2009 निरस्त किये गये। इस आदेश से क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता घनश्याम पुत्र किशनलाल ने यह निगरानी इस न्यायालय में योजित की है।

विद्वान अधिवक्तागण पक्षकारों के तर्क सुने गये एवं अवर न्यायालयों की वाद पत्रावलियों का सम्यक अध्ययन किया गया।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार यह निगरानी द्वितीय निगरानी नहीं है, अपितु विद्वान कलेक्टर द्वारा आक्षेपित आदेश के अधीन तहसीलदार, देहरादून द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–03–2007 को अपास्त किये जाने के विरूद्व है, क्योंकि प्रथम निगरानी आदेश दिनांक 05–03–2009 के विरूद्व की गई थी। उनके अनुसार विद्वान कलेक्टर ने अपने क्षेत्राधिकार के परे जाकर आदेश दिनांक 13–03–2007 को अपास्त किया है। दूसरी ओर उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार यह निगरानी धारा–219(2) भू–राजस्व अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विधितः वर्जित एवं अग्राह्य है। उनका यह भी कहना है कि वैसे भी विद्वान कलेक्टर ने प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया है एवं सभी बिन्दु खुले हैं एवं मूल नामान्तरण प्रकरण का पुनर्परीक्षण होना है। उनके अनुसार समता की दृष्टि से भी किसी पक्ष के विधिक अधिकार समाप्त नहीं किये गये हैं।

विद्वान कलेक्टर ने अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 25–09–2013 द्वारा अपने समक्ष प्रस्तुत निगरानी को बलहीन मानते हुए निरस्त किया गया साथ ही मूल नामान्तरण की कार्यवाही में पारित आदेश दिनांक 13–03–2007 को निरस्त किया गया जिससे नामान्तरण की कार्यवाही पुनर्स्थापित हो गयी यद्यपि तहसीलदार के समक्ष पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र अभी लम्बित

ही था। इस सम्बन्ध में धारा–219 भू–राजस्व अधिनियम के प्राविधान अति व्यापक हैं। तद्नुसार विद्वान कलेक्टर ने प्रकरण का सम्पूर्णता से आंकलन व विवेचना करने के उपरान्त नामान्तरण की कार्यवाही पुनर्स्थापित की है। उन्होंने इस सम्बन्ध में विस्तृत विवेचना कर नामान्तरण की कार्यवाही को नये सिरे से चलाये जाने का विधिक औचित्य पाया है। वैसे आदर्श रूप से उन्हें पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र के लम्बित रहते उसके शीघ्र निस्तारणार्थ निर्देश पारित करना चाहिए था परन्तु पुनरीक्षण के विधिक प्रावधान उनके पुनरीक्षण करने के क्षेत्राधिकार को सीमित नहीं करते हैं। प्रकरण की सम्पूर्णता के आंकलन व विश्लेषण के दृष्टिगत आक्षेपित निर्णय क्षेत्राधिकार अन्तर्गत ही है। मेरी राय में उनका यह कृत्य उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है। जहाँ तक निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आर0डी0 2008(105) पृष्ठ 693 से 698 का प्रश्न है व उपर्युक्त विधिक स्थिति के दृष्टिगत इस प्रकरण पर प्रासंगिक नहीं है।

दूसरी ओर धारा–219(2) भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत द्वितीय निगरानी विधितः वर्जित व अग्राह्य है। मैं उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क से सहमत हूँ। वैसे भी नामान्तरण की कार्यवाही पुनर्स्थापित होने से सभी सम्बद्ध पक्षों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूर्ण विकल्प उपलब्ध है।

**आदेश**

निगरानी विधितः वर्जित व अग्राह्य होने के कारण निरस्त की जाती है। अवर न्यायालय की पत्रावलियाँ वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली संचित हो। तहसीलदार, देहरादून पुनर्स्थापित नामान्तरण की कार्यवाही समयबद्ध निस्तारित करें।

22/8/14

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक **22–08–2014** को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

22/8/14

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।